

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाइ, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :- प्रीति मीणा, (RAS)

प्रार्थना पत्र सं०--68/2025

प्रविष्टि दिनांक--03.04.25

1. पूरण पुत्र माधो जाति काच्छी निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
2. उषा देवी पत्नी पूरणमल जाति काच्छी निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
3. रामकैलाश पुत्र माधो जाति काच्छी निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
4. सन्तोष देवी पत्नी रामकैलाश जाति काच्छी निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०

बनाम

प्रार्थीगण

1. हीरालाल पुत्र चतरा जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
2. अजय पुत्र रमेश नाबालिग संरक्षक सरपरस्त माता ममता देवी जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
3. अंजली पुत्री रमेश नाबालिग संरक्षक सरपरस्त माता ममता देवी जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
4. कैलाशी पुत्री गोपी जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
5. कैली पत्नी गोपी जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
6. कस्तुरी पत्नी बजरंगा जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
7. गंगाधर पुत्र चतरा जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
8. नरेश पुत्र रामकुंवार जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
9. प्रेम पुत्री गोपी जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
10. पार्वती पुत्री गोपी जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
11. फूला पुत्री बजरंगा जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
12. ममता पत्नी रमेश जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
13. महेन्द्र पुत्र अम्बालाल जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
14. माया पुत्री रामकुंवार जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
15. रूकमणी पुत्री गोपी जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
16. रेना पुत्री अम्बालाल जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
17. राकेश पुत्र रामकुंवार जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
18. राजेन्द्र पुत्र बजरंगा जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
19. राधाकिशन पुत्र गोपी जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
20. रामकन्या पुत्री बजरंगा जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
21. रामदेव पुत्री बजरंगा जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
22. रामदेवा पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
23. रामप्यारी पत्नी अम्बालाल जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
24. विनोद पुत्र अम्बालाल जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
25. शंकर पुत्र चतरा जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
26. शिवप्रकाश पुत्र गोपी जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
27. सत्यनारायण पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
28. सन्ती पुत्री रामकुंवार जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
29. सुरेश पुत्र बजरंगा जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
30. हरफूल पुत्र चतरा जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
31. हरिभजन पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
32. हरिराम पुत्र बजरंगा जाति बैरवा निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक राज०
33. तहसीलदार निवाइ जिला टोंक

— अप्रार्थीगण

उपस्थित— अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार जाट—प्रार्थीगण, अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा—अप्रार्थीगण
परोकार सरकार— तहसीलदार निवाइ

उपखण्ड आ...
निवाइ (टोंक)

निर्णय
आवेदन अन्तर्गत धारा 136, भू-राजस्व अधिनियम
बाबत शीट दुरुस्ती करने

दिनांक

प्रार्थना पत्र संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1168/2 रकबा 0.7967 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1169/2 रकबा 2.2511 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1169/3 रकबा 0.5059 हैक्टेयर वाके ग्राम मेहताबपुरा पटवार हल्का सिरस तहसील निवाई जिला टोंक राज0 में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण मौके पर काबिज मालिक चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण मौके पर वर्तमान में खसरा नम्बर 1168/2 एवं उसके लगवा नजरी नक्शे में बनाये खेत अनुसार खसरा नम्बर 1169/3 तक एक ही जाव में स्थित है परन्तु प्रार्थीगण की भूमि की तरमीम गलत रूप से करते हुये प्रार्थीगण के कब्जे के स्थान पर खसरा नम्बर 1169/1 की तरमीम कर रखी है जबकि भूमि खसरा नम्बर 1169/1 जो अप्रार्थीगण की भूमि है खसरा नम्बर 1169/2904 के दक्षिण दिशा में स्थित है एवं मौके पर शीट का रकबा देखने से ही प्रतीत होता है खसरा नम्बर 1169/1 मात्र 2 बीघा के लगभग ही जमीन है और खसरा नम्बर 1169/2 करीब 9 बीघा का रकबा है इस प्रकार तरमीम गलत होने से मौके पर विवाद होने की आशंका हो गई है एवं प्रार्थीगण की भूमि के कब्जे के स्थान पर गलत रूप से खसरा नम्बर 1169/1 अंकित हो जाने का नाजायज फायदा उठाकर कुछ भू माफिया व उक्त भूमि के कुछ खातेदार प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में विरोधाभाष हो गया है इसलिए प्रार्थीगण की भूमि का खेत वर्तमान में खसरा नम्बर 1168/2, 1169/2, 1169/3 की तरमीम मौके व कब्जे अनुसार नजरी नक्शे में पेन की स्याही से बनाये गये खेत के अनुसार एवं खसरा नम्बर 1169/1 की तरमीम खसरा नम्बर 1169/2904 के दक्षिण में की जाकर ऑनलाईन शीट व रिकॉर्ड में दुरुस्त किये जाने के आदेश फरमावे। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे उसमें परिवर्तन परिवर्धन नहीं करें।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1ता 6, 8, 10ता 24, 26ता 29 एवं 31ता 32 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा उपस्थित। अप्रार्थीगण 1ता 6, 8, 10ता 24, 26ता 29 एवं 31ता 32 की ओर से जवाब प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थीगण 7, 9, 25 व 30 बाद तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण 7, 9, 25 व 30 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण 1ता 6, 8, 10ता 24, 26ता 29 एवं 31ता 32 की ओर से प्रस्तुत जवाब साररूप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी का कब्जा अपनी तरमीम शीट व राजस्व शीट के अनुसार सेटलमेंट नक्शा शीट व तहसील कि लट्ठा शीट के अनुसार प्रारम्भ से ही वर्षों पूर्व से ही बना हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र गलत रूप से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह कथन नहीं है कि तरमीम में कहां और कब त्रुटी हुई है। कब्जे के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन मंशा के विपरित होने से कतई चलने योग्य नहीं है। ख0नं0 1169/1 अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा कब्जे-काश्त के आधार पर अनुतोष चाहा गया है जो कि उस परिधि में नहीं आता जिस परिधि में वाद-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसलिए प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाना चाहिए।

अप्रार्थी तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट प्राप्त, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट का सारांशतः इस प्रकार है कि मुताबिक राजस्व शीट वाके ग्राम-मेहताबपुरा (ऑनलाईन शीट) से मौका निरीक्षण ख0नं0 1168/2, 1169/2, 1169/3, 1169/1 का किया गया जिसमें ऑनलाईन शीट में खसरे का इन्द्राज गलत अंकन दौराने तरमीम सहवन से होना पाया गया। नवीन ऑनलाईन शीट में खसरा नम्बर 1169/3 के स्थान पर 1169/1 व ख0नं0 1169/1 के स्थान पर ख0नं0 1169/2 व ख0नं0 1169/ के स्थान पर 1169/3 की तरमीम दुरुस्त किया जाना आवश्यक है क्योंकि मौके पर खातेदार संलग्न शीट में दर्शाये अनुसार काबिज काश्त है।

अप्रार्थीगण 1ता 6, 8, 10ता 24, 26 ता 29 एवं 31ता 32 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना-पत्र आपत्ति मौका रिपोर्ट पेश किया। अवलोकन किया गया। चूंकि पत्रावली में प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया है जिसमें तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट तलब की गई है। एवं तहसीलदार निवाई की ओर से पैरवी करने के लिए पेशीकार सरकार उपस्थित है। ऐसे में अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना-पत्र आपत्ति मौका रिपोर्ट पेश करने का

पत्रावली में कोई औचित्य नहीं है। अप्रार्थीगण की ओर से पूर्व में जवाब पेश होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर पत्रावली अंतिम रूप से निर्णित किया जाना अभी लम्बित है ऐसे में प्रार्थना-पत्र आपत्ति मौका रिपोर्ट बखूबी साबित नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम में अधिवक्ता प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का एवं पैरोकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेकाशत की भूमि तरमीम वर्तमान नवीन ऑनलाईन शीट में खसरा नम्बर 1169/3 के स्थान पर 1169/1 व ख0नं0 1169/1 के स्थान पर ख0नं0 1169/2 व ख0नं0 1169/ के स्थान पर 1169/3 दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। पैरोकार सरकार ने कथन किया कि खसरा नम्बर 1169/3 के स्थान पर 1169/1 व ख0नं0 1169/1 के स्थान पर ख0नं0 1169/2 व ख0नं0 1169/ के स्थान पर 1169/3 दुरुस्त किये जाने से राज्य सरकार के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया बहस उभयपक्ष पर मनन किया। तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार एवं पैरोकार सरकार के कथनानुसार प्रार्थीगण की भूमि की तरमीम वर्तमान ऑनलाईन शीट में मुताबिक कब्जानुसार नहीं है जिसके सम्बन्ध में पैरोकार सरकार ने संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने पर सहमति प्रदान की है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सही मानते हुए इस्तदुआ स्वीकार की गई। इसलिए न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढ़ोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः इकबालिया जवाब, बहस एवं पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरुस्त किये जाने शीट तरमीम स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

फलतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर एवं तहसीलदार निवाई/पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरुस्त किये जाने शीट तरमीम भूमि खसरा नम्बर 1168/2 रकबा 0.7967 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1169/2 रकबा 2.2511 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1169/3 रकबा 0.5059 हैक्टेयर वाके ग्राम मेहताबपुरा पटवार हल्का सिरस तहसील निवाई जिला टोंक स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि भूमि खसरा नम्बर 1169/3 के स्थान पर 1169/1 व ख0नं0 1169/1 के स्थान पर ख0नं0 1169/2 व ख0नं0 1169/2 के स्थान पर 1169/3 वाके ग्राम मेहताबपुरा पटवार हल्का सिरस तहसील निवाई जिला टोंक की तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, पालना से अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 17/12/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (टोंक)
उपखण्ड अधिकारी निवाई